

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/865/2019/10-11/2778 भोपाल, दिनांक 5-7-23
प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
म0प्र0 सड़क विकास निगम,
सागर, मध्यप्रदेश।

विषय:- छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 एक्सटेंशन गुलगंज-अमानगंज-पवई- कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वन भूमि म0प्र0 सड़क विकास निगम, सागर को उपयोग पर देने बाबत।

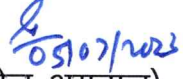
संदर्भ:- (1)भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPC 026/2019-BHO/409 दिनांक 24.05.2019

(2)इस कार्यालय का पत्र क्र/एफ-5/865/2019/10-11/1786 दि. 29.05.2019

—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार कार्यालय में दिनांक 17.05.2019 को आयोजित 35वीं R.E.C. की बैठक में 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी, जो संदर्भित पत्र 02 द्वारा आपसे चाही गई थी, परन्तु 04 वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरांत भी आपके द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अतः लेख है कि प्रकरण में MoRTH द्वारा उक्त मार्ग बनाने हेतु आपको आवंटित किया गया है। इस संबंध में MoRTH का पत्र शीघ्र इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।


(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/865/2019/10-11/2779

भोपाल, दिनांक 5-7-23

प्रतिलिपि:-

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) छतरपुर वृत्त, छतरपुर, मध्यप्रदेश
 2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, छतरपुर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल